निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 60/2019 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

एच डी एफ सी बैंक लि० एच डी एफ सी बैंक हाउस, सेनापति बापट मार्ग, लोवर पारेल, वेस्ट मुम्बई,

एवं द्वितीय पता–द्वितीय फ्लोर, एक्सप्रेस बिल्डिंग, बहादुर शाहर जफर मार्ग, आई टी ओ, न्यू देहली ।

प्रार्थी

बनाम

1. किंगमैक्स सिस्टम द्वारा प्रोपराईटर श्रीमती परमेश्वरी देवी केशवानी पुत्री श्री दयाराम छंगानी
2. श्रीमती परमेश्वरी देवी केशवानी पुत्री श्री दयाराम छंगानी

   ए. एफ–47 फस्ट फ्लोर, रायसर प्लाजा, बाबा हरीशचन्द्र मार्ग, जयपुर ।

   बी. जी–68, ग्राउण्ड फ्लोर, रायसर प्लाजा, बाबा हरीशचन्द्र मार्ग, जयपुर ।

   सी. 35, ग्राउण्ड फ्लोर, इलेक्ट्रोनिक मार्केट, रिद्वि सिद्वि चौराहा, गोपालपुरा, जयपुर।

   डी. 53, आनन्द नगर, सिरसी रोड के पास, जयपुर।
3. ईश्वर लाल केशवानी पुत्र श्री पेशुमल केशवानी

   निवासी 53, आनन्द नगर, सिरसी रोड के पास, जयपुर।

अप्रार्थीगण

ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act.2002.

उपस्थितः–श्री जी०सी० गर्ग एवं श्री आलोक गर्ग अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से। ।

दिनांक 3-10-2019

आदेश

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को 29.02.2016 को पुनभुर्गतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में रामेश्वरी देवी के स्वामित्व की वाणिज्यक सम्पत्ति दुकान नं० जीएफ 35, ग्राउण्ड फ्लोर जयपुर इलेक्ट्रोनिक्स मार्केट स्थित प्लाट नम्बर B1, B2, B3, B4, B5, B6, स्कीम नम्बर 10 बी एण्ड प्लाट नम्बर S1, S2 and S4 मोहन नगर स्कीम, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर क्षेत्रफल 490.36 वर्गफिट को बन्धक कर कुल 135 लाख की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.05.2017 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक की सम्पत्ति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जयपुर

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज किया जाकर न्यायहित में ऋणी को सूचना पत्र रजिस्टर्ड जारी किया गया। अप्रार्थी उपस्थित नहीं है।
3. प्रार्थी बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया । पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया ।
4. प्रकरण में प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 22.05.2017 को धारा 13 (2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। इसके बावजूद ऋणी द्वारा बकाया ऋण राशि जमा नहीं कराई गई है। धारा 13 (2) का नोटिस प्राप्ति की पुष्टि में भारतीय डाक विभाग की डिलीवर्ड/ट्रेकिंग रिपोर्ट की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा पेश की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enoforcement of security interest Act.2002. की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी वित्तीय बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष रामेश्वरी देवी के स्वामित्व की वाणिज्यक सम्पत्ति दुकान नं. जीएफ 35, ग्राउण्ड फ्लोर रिद्वि सिद्वि सर्किल, इलेक्ट्रोनिक्स मार्केट जयपुर का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।
5. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो ।
6. आदेश आज दिनांक को सरे इजलास सुनाया गया ।

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

(जगरूप सिंह यादव)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर